न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 शिविर ग्राम पंचायत – रेंदड़ी
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 31/2021

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. श्वेत कमल पुत्र गोविन्दसिंह जाति चारण निवासी रेदड़ी, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र कुमार चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –20.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद रेदड़ी पटवार हल्का आलावास तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 578 रकबा 0.2900 हैक्टर किस्म गै0मु0 बगीची की कृषि भूमि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता गोविन्दसिंह का 1/6 हक हिस्सा कानूनन बनता है तथा लीला कंवर, सुगन कंवर पुत्रिया विजयसिंह का 1/6 हिस्सा, दीपसिंह पुत्र आईदान सिंह का 1/2 हिस्सा एवं जगदीशसिंह, रघुवीरसिंह, राजेन्द्रसिंह पिसरान उदयसिंह का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी हक का है, जिस अनुसार काबिज है। उपरोक्त वर्णित भूमि की जमाबंदी सम्बत 2049 से 2052 के अनुसार नये खाता संख्या 95 में खातेदार दीपसिंह वल्द आईदान सिंह का 1/2 हिस्सा, विजयसिंह वल्द भवानीदान, उदयसिंह वल्द भवानीदान, गोविन्दसिंह वल्द मनोहरदान का 1/2 हिस्सा हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज सुदा है। उसके बाद जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार नये खाता 118 में खातेदार दीपसिंह वल्द आईदान सिंह का 1/2 हिस्सा, सुगन कंवर, लीलांकवर पुत्रीया विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, रघुवीरसिंह, जगदीशसिंह पिसरान उदयसिंह, भवानीदान, गोविन्दसिंह पिसरान मेहरदान का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज कर दिया गया। उक्त जमाबंदी में भवानीदान व गोविन्दसिंह को भाई के रूप में दर्ज कर दिया गया। जबकि भवानीदान, गोविन्दसिंह के दादा तथा मनोहरदान के स्थान पर मेहरदान दर्ज कर दिया गया, जो गलत दर्ज हुआ है। उक्त त्रुटि टंकण की गलती से दर्ज हुआ है। जबकि भवानीदान का नाम पुनः दर्ज नहीं करना चाहिए था तथा मेहरदान के स्थान पर मनोहर दान दर्ज करना चाहिए था। उपरोक्त त्रुटि होने की वजह से उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भवानीदान, गोविन्दसिंह पिसरान मेहरदान दर्ज हो जाने की वजह से वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदार के रूप में 1/12 हिस्सा भवानीदान पुत्र मनोहरदान दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। मनोहरदान के पुत्र गोविन्दसिंह थे, तथा गोविन्दसिंह के पुत्र प्रार्थी है। मनोहर दान का भवानीसिंह की सम्पति में 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्सा होने से गोविन्दसिंह का 1/6 हक

Gohal

हिस्सा हुआ तथा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए था। भवानीदान पुत्र मनोहरदान का 1/12 हिस्सा दर्ज हो जाने की वजह से प्रार्थी के पिता गोविन्दसिंह पुत्र मनोहरदान का 1/12 हिस्सा दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड से भवानीदान पुत्र मनोहरदान की प्रविष्ठि हो हटाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है एवं प्रार्थी के पिता मनोहर दान का 1/12 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु के बाद फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने की नकले दिनांक 24/09/2020 को प्राप्त करवाने पर उक्त हुई त्रुटि की जानकारी हुई, इसलिए यह रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है, नियमानुसार न्याय शुल्क पेश किया है। उक्त कृषि भूमि सरहद मौजा रेन्दड़ी में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उपरोक्त वर्णित भूमि के खसरा संख्या 578 रकबा 0.2900 हैक्टर गै0मु0बगेची के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार भवानीदान पुत्र मनोहरदान हिस्सा 1/12 जाति चारण सा.दे. खातेदार की प्रविष्ठि को हटाया जाने, एवं गोविन्दसिंह पुत्र मनोहरदान हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज कर रेकर्ड दुरस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 07.04.2021 को अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत द्वारा जबाब पेश कर समस्त तथ्यों को प्रार्थी स्वयं द्वारा साबित किये जाने तथा न्यायालय से सम्बद्ध होना अंकित किया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021 में आयोजित राजस्व कोर्ट केम्प रेन्दडी पर पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार सोजत से विवादग्रस्त भूमि से सम्बद्ध राजस्व रेकार्ड एवं प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जॉच रिपोर्ट चाही गई, तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का आलावास द्वारा जॉच रिपोर्ट पेश की गई, सा0मि0 है। उक्त रिपोर्टानुसार **मौजा रेन्दड़ी** के ख0न0 578 रकबा 0.29 किस्म गै0मु0 बगीची में संवत 2028 भू–प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान में क्र0स0 01 एवं कालम संख्या 25 में दीपसिंह पुत्र आईदान 1/2, विजयसिंह पुत्र भवानीदान उदयदान पुत्र भवानीदान, गोविन्दसिंह पुत्र मनोहरदान 1/2 कौम चारण सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी खतौनी संवत् 2049–52 में खाता संख्या 95 में दीपसिंह वल्द आईदान हि0 1/2 विजयसिंह वल्द भवानीसिंह उदयसिंह भवानीसिंह गोविन्दसिंह वल्द मनोहरदान 1/2 कौम चारण सा0देह खातेदार दर्ज है जो आज दिनांक तक निरन्तर जमाबंदी में दर्ज होता आया है। जिसे भू0 प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान अनुसार शुद्ध किया जाना उचित दर्शाया है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रेन्दड़ी के खसरा संख्या 578 रकबा 0.2900 हैक्टर में दर्ज खातेदार भवानीदान पुत्र मनोहरदान हिस्सा 1/12 जाति चारण सा.दे. खातेदार की प्रविष्ठि को हटाये जाने तथा गोविन्दसिंह पुत्र मनोहरदान हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत को उक्त दुरूस्ती किये जाने पर एवं अन्य अप्रार्थीगण के

हिस्से में परिवर्तन हो जाना व्यक्त करते हुए मामला खातेदारी घोषणा से संबंध होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत तस्दीक सुदा शपथ पत्र जमाबंदी संवत 2049–52, 2069–72 भू0 प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान एवं तहसीलदार सोजत एवं पटवारी हल्का आलावास द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः भू0प्रवन्धन विभग के खसरा मिलान के क्.सं. 01 एवं कॉलम संख्या 25 में दीपसिंह पुत्र आईदान 1/2, विजयसिंह पुत्र भवानीदान उदयदान पुत्र भवानीदान, गोविन्दसिंह पुत्र मनोहरदान 1/2 कौम चारण सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2049 से 2052 में खाता संख्या 95 में दीपसिंह वल्द आईदानसिंह 1/2 विजयसिंह वल्द भवानीदान, उदयसिंह भवानीदान गोविन्दसिंह वल्द मनोहरदान 1/2 कौम चारण दर्ज किया गया। इस प्रविष्टि में भवानीदान का इन्द्राज पुनः उदयदान की वल्दियत के स्थान पर दर्ज नही किया जाकर उदयदान के साथ दर्ज कर दिया गया जिसे लिपिकिय त्रुटि वश होना अंकित किया है। लेकिन उक्त राजस्व रेकर्ड से भवानीसिंह पुत्र मेहरदान की प्रविष्टि को हटाने पर भवानीसिंह के हक/हिस्सा अधिकार धारा 136 के प्रावधानो के तहत समाप्त नही किये जा सकते तथा अन्य सह खातेदारो के हिस्से भी कम/अधिक होंगे जो अधिकारो की घोषणा के प्रावधानो मे निहीत है। लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्तामय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती के निहित प्रावधानो के तहत नही होने अर्थात घोषणा से सम्बद्ध होने से खारिज योग्य है। लिहाजा अधिवक्तामय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो से विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – रेन्दड़ी

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, शिविर ग्राम पंचायत रेन्दडी में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर ग्राम पंचायत – रेन्दड़ी